न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/1571

1. द्वारका प्रसाद जागिड़ पुत्र आनन्दी लाल जाति जागिड़, निवासी रूलाणा, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर, हाल निवासी गजानन्द मेटल्स इण्ड एरिया झोटवाड़ा जयपुर राजस्थान।

— अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार दांतारामगढ़, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर।
2. शंकर लाल पुत्र सत्यनारायण, जाति ब्राहम्ण, निवासी रूलाणा, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर, राजस्थान।

— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ़, जिला सीकर दिनांक 08.07.2025 प्रकरण अपील संख्या 08/2025 उनवानी शंकरलाल बनाम दिलीप सिंह आदि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 135 (2) भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार कर शंकरलाल के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये।

उपस्थित :–

1. श्री विजय कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से।
3. श्री हिमाशुं अग्रवाल, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 24.02.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत तहसीलदार दांतारामगढ़, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 08.07.2025 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 30.07.2025 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोडेन्ट नं. 2 शंकर लाल ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ़, जिला सीकर के समक्ष गोदनामा के आधार पर नामान्तरकरण खोलने बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम रूलाणा के खाता संख्या 266 व 82 में किस्तुरी देवी पत्नि आनन्दीलाल जाति जागिंड़ ब्राहम्ण निवासी रूलाणा के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज है। उक्त किस्तुरी देवी ने शंकरलाल को गोद लिया था जिसका गोदनामा उप पंजीयक दांतारामगढ़ के यहॉ पर दिनांक 30.05.2025 को पंजीकृत किया गया है। उक्त किस्तुरी देवी व आनन्दीलाल का स्वर्गवास हो चुका है। जिनका मैं शंकरलाल एक मात्र वारिस एवं उत्तराधिकारी हूँ। उक्तानुसार के अलावा अन्य कोई दीगर जीवित वारिस नहीं है। इसलिए उक्तानुसार किस्तुरी देवी की विरासत का नामान्तरकरण राजकीय अभिलेखों में दर्ज किया जाना सही एवं न्यायोचित है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ़, जिला सीकरद्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 135 (2) भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम रूलाणा पटवार हल्का बनाथला तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर के कृषि भूमि खाता संख्या 266 एवं 82 में गोदनामा के आधार पर खातेदार किस्तुरी देवी पत्नि आनन्दीलाल जाति जांगिड़ ब्राहम्ण के स्थान पर शंकरलाल शर्मा दत्तक पुत्र आनन्दीलाल जाति जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी रूलाणा तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर के नाम नामान्तरकरण किसी अन्य उच्चतर न्यायालय का स्थगन नहीं होने

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

की स्थिति में दर्ज करने व निर्णित किये जाने के आदेश दिनांक 08.07.2025 को पारित किये गये हैं।

3. न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ़, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 08.07.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारका प्रसाद जागिड़ पुत्र आनन्दीलाल द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ़, जिला सीकर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.07.2025 व उसके आधार पर दर्ज नामान्तरकरण संख्या 1353, 1354 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट नं 1 ने अपने पक्ष में गोदनामा दिनांक 30.05.2025 को पंजीकृत करवाया है। जो उक्त गोदनामा देखने मात्र से ही पुर्णतया से फर्जी व कुटरचित प्रतीत है। जिसको कानूनन किसी भी प्रकार से स्वीकार नही किया जा सकता है। क्योकि किस्तुरी देवी की मृत्यु दिनांक 03.03.2023 को हो गई थी एवं आनन्दीलाल पुत्र छोगाराम की मृत्यु दिनांक 15.11.2005 को हो गई थी। दोनों पति–पत्नि की मृत्यु होने के बाद किसी भी प्रकार से गोदनामा निष्पादित नही करवाया जा सकता है। लेकिन रेस्पोडेन्ट ने उप पंजीयक दांतारामगढ़ से साज कर उप पंजीयक को अनुचित लाभ देकर उक्त गोदनामा निष्पादित करवाया गया था दोनों पक्षों की अनुपस्थिति में निष्पादित गोदनामा विधि द्वारा वर्जित है जिसके आधार पर रेस्पोडेन्टस के पक्ष में किसी भी प्रकार के अधिकार सर्जित नही होते है ऐसा गोदनामा प्रारम्भत से ही शून्य है। नामान्तरकरण के निर्णय के समय रजि0 गोदनामा की वैधता व कानूनी आधार के सम्बन्ध में न्यायालय ने कोई विचार नही किया इसलिये उक्त गोदनामा के आधार पर किया गया आलौच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट ने जो अपने पक्ष में कुटरचित गोदनामा निष्पादित करवाया है। उक्त कुटरचित गोदनामा में न तो गोदग्रहिता /गोद लेने वाले माता पिता/आनन्दीलाल पुत्र छोगाराम व किस्तुरी देवी पत्नि आनन्दीलाल जिसको रेस्पोडेन्ट कथित दत्तक माता पिता बताया है के हस्ताक्षर है तथा न ही गोद देने वाले प्राकृतिक माता पिता के हस्ताक्षर है। जबकि कानूनन किसी भी दत्तक ग्रहण विलेख में गोद लेने वाले माता पिता व गोद देने वाले माता पिता दोनों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। गोद लेने वाले व देने वाले माता पिता के हस्ताक्षर बिना गोदनामा कतई मान्य किये जाने योग्य नही है तथा न ही बिना दत्तकग्रहिता माता पिता व प्राकृतिक माता पिता के हस्ताक्षर के बिना गोदनामा निष्पादित करवाया जा सकता है लेकिन रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ने उप पंजीयक महोदय दांतारामगढ़ को अनुचित लाभ प्रदान कर फर्जी तरीके से किस्तुरी देवी/अपीलार्थी की दत्तक माता के नाम दर्ज खातेदारी को हड़पने के लिये फर्जी तरीके से गोदनामा तस्दीक करवाया है जिसको असल के रुप में काम नही लिया जा सकता है तथा न ही उक्त कुटरचित गोदनामा के आधार पर रेस्पोडेन्ट कोई हक अधिकार सर्जित नही होता। तहसीलदार दांतारामगढ़ ने गोदनामा की वैधता के सम्बन्ध में कोई जॉच नही की जो विधि की दृष्टि से गंभीर त्रुटि है। इसलिये उक्त गोदनामा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा किया गया आलौच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोडेन्ट से अपने आपको कथित रुप से दिनांक 10.06.2021 को स्टाम्प पर लिखावट कर गोद लेने का कथन किया है। जो उक्त तिथि को अगर रेस्पोडेन्ट के पक्ष में गोदनामा की 500/– रुपये के स्टाम्प पर लिखावट किये होने का कथन पूर्णतया से दोषपूर्ण है क्योकि अगर रेस्पोडेन्ट को गोद लिया जाता व उसको गोद लेते ही लिखावट की जा सकती थी लेकिन रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थी की दत्तक माता किस्तुरी देवी की मृत्यु के बाद फर्जी तरीके से पुरानी तारीख का स्टाम्प खरीद कर उसको गलत रुप से टंकण करवाया हुआ है। अगर किस्तुरी देवी द्वारा गोद लिया जाता तो उसके द्वारा गोद लेते ही

लिखावट नही करके पंजीकृत गोदनामा ही उप पंजीयक कार्यालय में निष्पादित करवाया जा सकता था क्योकि रेस्पोडेन्ट को अगर 500 के स्टाम्प पर लिखावट की जानकारी थी तो पंजीकृत गोदनामा की जानकारी नही होने से इन्कार नही किया जा सकता है। इसलिये उक्त गोदनामा के तथ्यों को देखने मात्र से उक्त गोदनामा पूर्णतया से फर्जी है। जिसके आधार पर कोई आदेश जारी नही किया जा सकता इसलिये उक्त गोदनामा के आधार पर दर्ज किया गया नामान्तरकरण निरस्त होने योग्य है। उक्त फर्जी कुटरचित दस्तावेज पंजीकृत गोदनामा में गोद लेने वाले व गोद देने वाले जागिड़ समाज व परिवार के किसी भी व्यक्ति के बतौर गवाह हस्ताक्षर नही है इससे साफ जाहिर है कि उक्त गोदनामा चोरी छुपे एकान्त में सम्पति हडपने के लिये पूर्व की तिथि में लिखावट करके गोदनामा पंजीकृत करवाया है। अगर लिखावट वर्ष 2021 में की हुई होती तो जागिड़ समाज व परिवार के किसी व्यक्ति को उसकी जानकारी होती लेकिन किस्तुरी देवी की मृत्यु तक किसी भी व्यक्ति को उक्त लिखावट के बारे में जानकारी नही थी। जिसे पूर्णतया साबित है कि लिखावट सम्पति हड़पने की गरज से पूर्व की दिनांक का स्टाम्प खरीद कर करवाई हुई है जिसको पंजीयन की दिनांक 30.05.2025 को पंजीयन अधिकारी से मिली भगत कर उस फर्जी दस्तावेज को रजि0 करवाने की कुचेष्ठा की गई। ऐसे गंभीर त्रुटिपूर्ण दस्तावेज की जॉच किये बिना न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश पारित कर भारी कानूनी भूल की है। ऐसा आदेश किसी भी तरह से विधि में स्थिर रहने योग्य नही है।

रेस्पोडेन्ट द्वारा नायब तहसीलदार दांतारामगढ़ के समय उक्त फर्जी गोदनामा के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करवाने बाबत आवेदन करने पर नायब तहसीलदार द्वारा गोदनामा के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने बाबत आदेशित किया गया। उक्त गोदनामा मे वर्णित तथ्यों की हल्का पटवारी द्वारा जाँच के समय इस बात का खुलासा हुआ कि किस्तुरी देवी के परिवार के लोगों ने बताया कि आनन्दीलाल ने अपने जीवनकाल में ही 13 वर्ष की उम्र में द्वारकाप्रसाद पुत्र कुन्दनमल को अपनी पत्नि किस्तुरीदेवी की सहमति से गोद लिया था तथा आज भी समाज परिवार में द्वारका प्रसाद को आनन्दीलाल के पुत्र के रुप में मान्यता व स्वीकार्यता है आनन्दीलाल व किस्तुरी देवी ने कुन्दनमल व उसकी पत्नि बिदामी देवी ने समाज के लोगों की मौजूदगी में गोद लिये जाने के समारोह का आयोजन कर हिन्दू रिति रिवाज से गोद लिया जिसके बाद द्वारका प्रसाद/अपीलार्थी की शिक्षा दिक्षा व शादी विवाह आनन्दीलाल ने की थी तथा सभी दस्तावेजों में द्वारका प्रसाद/अपीलार्थी के पिता का नाम आनन्दीलाल दर्ज है। जिसको आज दिनांक तक किसी की ओर से चुनौति नही दी गई। हल्का पटवारी की रिपोर्ट में नया तथ्य उजागर होने (उपस्थित मौतबिरानो ने बताया कि आनन्दीलाल का वारिस द्वारका प्रसाद है। क्योकि द्वारका प्रसाद को आनन्दीलाल ने अपने जीवनकाल में ही गोद लिया था) के बावजूद पीठासीन अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा प्रथम दत्तक पुत्र के जीवित व मौजूद रहते रजि0 गोदनामें में उल्लेखित रेस्पोडेन्ट सं0 01 को वारिस मानकर नामान्तरकरण के आदेश पारित कर दिये। हिन्दू दत्तक पुत्र और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 11(2) के अनुसार जब तक कोई पूर्व दत्तक पुत्र सन्तान जीवित है एवं उसका दत्तक होना निरस्त नही किया गया है तब तक दूसरा दत्तक पुत्र नही हो सकता है प्रस्तुत प्रकरण में शंकर लाल, आनन्दीलाल का दूसरा दत्तक पुत्र तहसीलदार दांतारामगढ़ ने नामान्तरकरण दर्ज करते समय माना है। जबकि हल्का पटवारी की रिपोर्ट से यह तथ्य स्वीकृत हो चुका था कि आनन्दीलाल ने पूर्व में ही द्वारका प्रसाद को हिन्दू रिति से गोद लेने की रस्म पूरी कर विधि विधान से गोद की प्रक्रिया अपना कर गोद लिया गया था। लेकिन कानून की जानकारी के अभाव में रजि0 गोदनामा नही करवाया गया। पीठासीन अधिकारी दांतारामगढ़ को प्रकरण की सुनवाई के दौरान इस तथ्य की जानकारी होने पर द्वारका प्रसाद को नोटिस प्रेषित कर सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया व न ही इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य लिये। आनन्दीलाल के प्रथम श्रेणी व

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

द्वितीय श्रेणी के वारिसान को नोटिस देकर कोई सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया जो प्रकरण में हितबंध आवश्यक पक्षकार थे। आवश्यक पक्षकारों को सुने बिना तहसीलदार दांतारामगढ़ ने उक्त निर्णय बिना विधिक प्रक्रिया को अपनाये पारित किया गया है जो किसी भी दृष्टि से न्यायोचित व स्थिर रहने योग्य नही है अतः आलौच्य निर्णय प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है।

अपीलार्थी के दत्तक पिता आनन्दीलाल पुत्र छोगाराम व दत्तक माता किस्तुरी देवी पत्नि आनन्दीलाल द्वारा अपीलार्थी को उसके बाल्याकाल में ही गोद पुत्र के रूप में रख लिया व सामाजिक रिति रिवाज से अपीलार्थी के दत्तक पुत्र ग्रहण की सम्पूर्ण प्रक्रिया की जिसमें आनन्दीलाल ने अपने परिवार समाज व रिश्तेदारों को बुलाकर विधि विधान से अपीलार्थी को गोद लिया गया जिसमें आनन्दीलाल व किस्तुरी देवी ने अपीलार्थी के माता पिता से अपीलार्थी को गोद लेकर अपनी गोद में बिठाकर सम्पूर्ण प्रक्रिया का निर्वहन किया गया गुड़ पतासे बांटे गये मंगल गीत गाये गये। लेकिन उस समय पर कानूनी जानकारियों का अभाव होने के कारण से विधिवत उप पंजीयक कार्यालय में गोदनामा तस्दीक नही करवा सके आनन्दीलाल व किस्तुरी देवी अनपढ़ होने व कानूनी पेचिदगियों का ध्यान नही होने से विधिवत गोदनामा तस्दीक नही करवाया गया। लेकिन अपीलार्थी के दत्तक पिता ने अपीलार्थी के अपने जायन्दा पुत्र के समान ही मानकर उसका लालन पालन, शिक्षा दिक्षा की है व अपने स्वंय का जायन्दा पुत्र के समान वैधानिक समस्त अधिकार दे रखे है। जो इस बात से प्रमाणित है कि अपीलार्थी के सभी कागजात आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पास बुक, ड्राईविंग लाईसेन्स आदि सभी पहचान के दस्तावेज में अपीलार्थी के माता पिता का नाम आनन्दीलाल व किस्तुरी देवी ही है तथा अपीलार्थी को आनन्दीलाल के दत्तक पुत्र के रुप में सामाजिक रुप से निर्विवाद सामाजिक स्वीकार्यता प्राप्त रही है तथा आज बोलचाल व परिवार रिश्तेदार वादी को आनन्दीलाल का पुत्र मानते है। पंजीकृत गोदनामा नही होने की बात का नाजायज फायदा उठाकर सम्पति हडपने की नियत से रेस्पोडेन्ट ने एक फर्जी गोदनामा तैयार करवा लिया जिसके आधार पर सम्पति में उत्तराधिकार की हैसियत से रेस्पोडेन्ट को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही होते है क्योकि उक्त भूमियों पर आनन्दीलाल के जीवनकाल से अपीलार्थी काबिज काश्तकार है। तथाकथित पंजीकृत गोदनामें में वर्णित कथन व अखबार में जारी विज्ञप्ति में परस्पर विपरित व विरोधाभाषी कथन उल्लेखित किये गये है। रेस्पोडेन्ट के अनुसार रेस्पोडेन्ट के पिता का नाम सत्यनारायण है। रेस्पोडेन्ट के कथनानुसार सत्यनारायण आनन्दीलाल का भाई है। जबकि रजिस्टर्ड गोदनामें में किस्तुरी देवी स्पष्ट रुप से उल्लेख किया है कि उसने शंकर लाल पुत्र सत्यनारायण को गोद नही लिया है। गोदनामें में किस्तुरी देवी के कथनानुसार शंकर लाल शर्मा पुत्र नारायण लाल शर्मा को गोद लिया गया था। अखबार में साया विज्ञप्ति के अनुसार उक्त शंकर लाल शर्मा पुत्र नारायण लाल शर्मा किस्तुरी देवी का छोटा भाई होना बताया है। स्पष्ट है कि दत्तक ग्रहिता किस्तुरी देवी ने रेस्पोडेन्ट शंकर लाल जागिड़ पुत्र सत्यनारायण जागिड़ को कभी दत्तक पुत्र नही लिया था। आनन्दीलाल ने भी अपने जीवनकाल में शंकर लाल जागिड़ पुत्र सत्यनारायण को दत्तक ग्रहण नही किया बल्कि अपने छोटे भाई कुन्दनमल के बड़े बेटे द्वारका प्रसाद/अपीलार्थी को गोद लिया जाना हल्का पटवारी की रिपोर्ट व उपस्थित मौतबिरान, मजमा आम रूलाणा में पुछताछ व जॉच में स्पष्ट उल्लेख किया है। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त गोदनामा फर्जी तरीके से सम्पति हड़पने की गरज से तैयार किया है जिसमें शंकर लाल को न तो किसी ने गोद लिया है न ही किसी ने गोद दिया है। इसलिये उक्त अमान्य दस्तावेज के आधार पर रेस्पोडेन्ट/शंकर लाल के पक्ष में कोई अधिकार सर्जित नही है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

किसी भी व्यक्ति को दत्तक पुत्र उद्घोषित करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। न ही उप पंजीयक महोदय को उक्त प्रकरण में उप पंजीयक महोदय व अधिनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर शंकर लाल को दत्तक पुत्र उद्घोषित

करवा कर आलौच्य आदेश पारित किया है। जो चलने योग्य नही है। दत्तक पुत्र की उद्घोषणा सिविल न्यायालय में वाद पेश कर की जाती है। पंजीकृत गोदनामा कानूनन दत्तक दाता व दत्तकग्रहिता दोनों पक्षों के मध्य एक करार है। जिसके पुत्र को भविष्य में पालन पोषण और सम्पति के सम्बन्ध में उत्तराधिकार का निर्णय होता है प्रस्तुत प्रकरण में दस्तावेज का पंजीयन करवाते समय दत्तक दाता व दत्तक ग्रहिता दोनों ही अनुपस्थित है। ऐसी स्थिति में बिना सक्षम पक्षकारों की उपस्थिति में किया गया पंजीकरण अवैध व शून्य है जिसकी कानून की दृष्टि से कोई अहमियत नही है। अपीलार्थी के सभी दस्तावेजों में पिता के नाम के स्थान पर आनन्दीलाल अंकित है जिसे साफ जाहिर है कि अपीलार्थी को आनन्दीलाल ने दत्तक पुत्र रख रखा था जब आनन्दीलाल ने अपीलार्थी को दत्तक पुत्र रख रखा था तो फिर रेस्पोडेन्ट को दत्तक पुत्र रखने का प्रश्न भी पैदा नही होता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा जब एक व्यक्ति को गोद लिया हुआ हो तो अन्य व्यक्ति को गोद लेने का प्रश्न भी पैदा नही होता है जिसे भी साफ जाहिर है कि रेस्पोडेन्टस ने कुटरचित रुप से गोदनामा तस्दीक करवाया हुआ है। जिसके आधार पर दर्ज नामान्तरकरण किसी भी स्थिति में मान्य किये जाने योग्य नही है। विधि सम्बन्धित त्रुटि प्रथम दत्तक पुत्र के जीवित रहते हुए दुसरे को गोद पुत्र लिया जाना कानूनन अवैध है। अपील में वर्णित भूमि पर अपीलार्थी के दत्तक पिता आनन्दीलाल के जीवनकाल से ही अपीलार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलार्थी को उसके बाल्याकाल में ही आनन्दीलाल ने सम्पूर्ण विधि व रिति से गोद लिया था जो अपीलार्थी के सभी दस्तावेजों से प्रमाणित है तथा आनन्दीलाल ने अपने जीवनकाल में ही अपीलार्थी को अपनी भूमियों का कब्जा संभला दिया था जिस पर लगातार निरन्तर व निर्बाध रुप से काबिज है। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 ने बिना कब्जे की जॉच किये आलौच्य आदेश जारी कर रेस्पोडेंन्टस के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया। इसलिये बिना कब्जे के तस्दीक किया गया उक्त नामान्तरकरण प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ने सम्पूर्ण कार्यवाही प्राकृतिक न्याय सिद्वान्तों के विपरित की है।

रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ने आदेश जारी किये जाने से पूर्व मौके व कब्जे की जॉच नही करवाई है न ही कुटरचित गोदनामा की जॉच की गई इस वजह से उक्त चुनौतिग्रस्त आदेश व उसके आधार पर तस्दीक किया गया नामान्तरकरण स्थिर रहने योग्य नही है। अविलम्ब खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 द्वारा जारी आदेश दिनांक 08.07.2025 खिलाफ कानून एवं विरूद्ध पत्रावली हैं तथा प्रथम दृष्टया रूप से ही निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ़, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 08.07.2025 में बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट सीधे रूप से प्रभावित पक्षकार है तथा प्रभावित पक्षकार होने के फलस्वरूप धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अपील पेश करने के अधिकारी है जिसकी अनुमति अपीलान्ट को प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील अपीलार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर द्वारा जारी आदेश दिनांकित 08.07.2025 व उसके आधार पर दर्ज नामान्तरकरण संख्या 1353, 1354 को निरस्त किया जाना सादर प्रार्थनीय है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ़, जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.07.2025 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि हाल रेस्पोडेन्ट नं. 2 ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ़, जिला सीकर के समक्ष गोदनामा के आधार पर नामान्तरकरण खोलने बाबत् प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम रूलाणा के खाता संख्या 266 व 82 में किस्तुरी देवी पत्नि आनन्दीलाल जाति जागिंड़ ब्राहम्ण निवासी रूलाणा के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज है। उक्त किस्तुरी देवी ने शंकरलाल को गोद लिया था जिसका गोदनामा उप पंजीयक दांतारामगढ़ के यहॉ पर दिनांक 30.05.2025 को पंजीकृत किया गया है। उक्त किस्तुरी देवी व आनन्दीलाल का स्वर्गवास हो चुका है। जिनका मैं शंकरलाल एक मात्र वारिस एवं उत्तराधिकारी हूँ। उक्तानुसार के अलावा अन्य कोई दीगर जीवित वारिस नहीं है। इसलिए उक्तानुसार किस्तुरी देवी की विरासत का नामान्तरकरण राजकीय अभिलेखों में दर्ज किया जाना सही एवं न्यायोचित है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ़, जिला सीकर द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 135 (2) भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम रूलाणा पटवार हल्का बनाथला तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर के कृषि भूमि खाता संख्या 266 एवं 82 में गोदनामा के आधार पर खातेदार किस्तुरी देवी पत्नि आनन्दीलाल जाति जांगिड़ ब्राहम्ण के स्थान पर शंकरलाल शर्मा दत्तक पुत्र आनन्दीलाल जाति जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी रूलाणा तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर के नाम नामान्तरकरण किसी अन्य उच्चतर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की स्थिति में दर्ज करने व निर्णित किये जाने के आदेश दिनांक 08.07.2025 को पारित किये गये हैं। जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ की पत्रावली के अवलोकन से तथा दौराने बहस किये गये कथनों से जाहिर होता है कि प्रकरण में मुख्य विवाद मृतक किस्तुरी देवी पत्नि आनन्दीलाल जाति जागिंड़ ब्राहम्ण निवासी रूलाणा के नाम से वाके ग्राम रूलाणा के खाता संख्या 266 व 82 में दर्ज खातेदारी भूमि की विरासत को लेकर है। हाल अपीलान्ट द्वारका प्रसाद जागिड़ पुत्र आनन्दी लाल दस्तावेजों में द्वारका प्रसाद/अपीलार्थी के पिता का नाम आनन्दीलाल दर्ज होने के आधार पर विरासत का नामान्तरकरण अपने नाम कराना चाहता है और हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 शंकरलाल ने अपने पक्ष में गोदनामा जो दिनांक 30.05.2025 को पंजीकृत करवाया गया है उसके आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करवाना चाहता है।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ ने रजिस्टर्ड गोदनामा शंकर लाल दत्तक पुत्र आनन्दीलाल जाति जांगिड, भूमि ग्रहिता व किस्तूरी धर्मपत्नि स्व0 आनन्दीलाल जाति जांगिड की जॉच मजमे आम करवाने हेतु पटवारी हल्का बनाथला से करवायी गयी। पटवारी हल्का बनाथला ने दिनांक 08.06.2025 को मजमे आम में फर्द मौका रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि "गोदनामा दिनाक 10.06.2021 को 500/– रूपये के स्टाम्प मय 2 पाई पेपर पर लेखन किया गया है। कस्तुरी देवी धर्मपत्नि स्व. आनन्दीलाल की मृत्यु दिनांक 03.03.2023 को हो चुकी है एवं आनन्दीलाल पुत्र छोगाराम की मृत्यु दिनांक 15.11.2005 को हो चुकी है। उप पंजीयक कार्यालय हाजा तहसील दांतारामगढ में उक्त गोदनामा दिनांक 30.05.2025 को रजिस्टर्ड किया गया है जिसमें गोद लेने वाली कस्तुरी देवी की फोटो नहीं है। एवं करतुरी देवी की मृत्यु के पश्चात गोदनामा पंजिबद्ध किया गया है। करतुरी देवी ने रजि0 गोदनामे में बताया है कि आनन्दीलाल पुत्र छोगाराम अपने पति का छोटा भाई बताया है। जबकि (शंकरलाल पुत्र सत्यनारायण) सत्यनारायण पुत्र जगन्नाथ पारिवारिक भाई है। रजि. के समय गोद देने

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

वाले एवं गोद लेने वाले मौजूद नहीं है। उपस्थित मौतबिरानों के बताये अनुसार वारिसान का सजरा बनाया गया। जिसमें द्वारका प्रसाद पुत्र आन्नदीलाल ने अपने आप को गोद पुत्र बताया। और जिसकी आधार कार्ड की कॉपी संलग्न की है, लेकिन किसी प्रकार रजि0 गोदनामा व गोदनामें सम्बन्धी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये। मौके पर उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर करवाये गये। वारिसान सम्बन्धी जानकारी उपस्थित लोगो ने दी।"

अधीनस्थ न्यायायल तहसीलदार दांतारामगढ ने प्रकरण अन्तर्गत धारा 135(2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज किया गया। उक्त गोदनामा दिनाक 10.06.2021 को 500/– रूपये के स्टाम्प मय 2 पाई पेपर पर लेखन किया गया है। कस्तुरी देवी धर्मपत्नि स्व. आनन्दीलाल की मृत्यु दिनांक 03.03.2023 को हो चुकी है एवं आनन्दीलाल पुत्र छोगाराम की मृत्यु दिनांक 15.11.2005 को हो चुकी है। हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 शंकर लाल पुत्र सत्यनारायण ने उप पंजीयक कार्यालय हाजा तहसील दांतारामगढ में उक्त गोदनामा दिनांक 30.05.2025 को रजिस्टर्ड करवाया गया है। उक्त गोदनामा दिनांक 30.05.2025 को रजिस्टर्ड करवाया गया उस समय शंकर लाल पुत्र सत्यनारायण की उम्र 67 वर्ष थी एवं शंकर लाल के पिता का नाम भी सत्यनारायण अंकित किया गया हुआ है। पटवारी हल्का बनाथला की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 08.06.2026 में भी हाल अपीलान्ट द्वारका प्रसाद पुत्र आनन्दीलाल ने अपने आप को गोद पुत्र बताया है। और जिसकी आधार कार्ड की कॉपी संलग्न की गयी है। नामान्तरकरण के निर्णय के समय रजि0 गोदनामा की वैधता व कानूनी आधार के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ ने कोई जांच नहीं की गयी है। रेस्पोडेन्ट नं. 2 ने जो अपने पक्ष में गोदनामा निष्पादित करवाया है। उक्त गोदनामा में न तो गोदग्रहिता/गोद लेने वाले माता पिता/आनन्दीलाल पुत्र छोगाराम व किस्तुरी देवी पत्नि आनन्दीलाल जिसको रेस्पोडेन्ट नं 2 ने कथित दत्तक माता पिता बताया है के हस्ताक्षर है तथा न ही गोद देने वाले प्राकृतिक माता पिता के हस्ताक्षर है। जबकि कानूनन किसी भी दत्तक ग्रहण विलेख में गोद लेने वाले माता पिता व गोद देने वाले माता पिता दोनों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है तथा गोद जाने वाले की उम्र भी 16 वर्ष से अधिक है जो विधि अनुरूप नहीं है, जिससे गोदनामा संदिग्ध प्रतीत होता है।

हाल अपीलान्ट द्वारकाप्रसाद द्वारा पटवारी हल्का बनाथला को फर्द मौका रिपोर्ट 08.06.2025 के दौरान पहचान स्वरूप दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश किये गये है जिसमें द्वारका प्रसाद पुत्र आन्नदीलाल नाम दर्ज है। तहसीलदार दांतारामगढ़ ने गोदनामा की वैधता के सम्बन्ध में कोई जॉच नही की जो विधि की दृष्टि से उचित नहीं है। पीठासीन अधिकारी दांतारामगढ़ ने प्रकरण की सुनवाई के दौरान इस तथ्य की जानकारी होने पर कि द्वारका प्रसाद पुत्र आन्नदीलाल ने अपने आप को गोद पुत्र बताया और आधार कार्ड फोटो कॉपी संलग्न होने के बावजूद भी हाल अपीलान्ट को नोटिस प्रेषित कर सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया व न ही इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य लिये गये हैं। आनन्दीलाल के प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी के वारिसान को नोटिस देकर कोई सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया जो प्रकरण में हितबद्ध आवश्यक पक्षकार थे। आवश्यक पक्षकारों को सुने बिना तहसीलदार दांतारामगढ़ ने उक्त निर्णय बिना विधिक प्रक्रिया को अपनाये पारित किया गया है। यदि रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 के हक में किये गये रजिस्टर्ड गोदनामें से अपीलान्ट को कोई आपत्ति है तो वे उसे निरस्त कराने के लिये सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिये स्वतंत्र है। राजस्व न्यायालय को रजिस्टर्ड गोदनामें की विधिसम्यकता का परीक्षण करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। तहसीलदार चूंकि भूमिधारक होता है। इसलिये तहसीलदार का यह दायित्व भी है कि यदि गोदनामा में कोई संदेह अथवा कूटरचना जाहिर होती है तो जॉच कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करें किन्तु प्रकरण में तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा इस सम्बन्ध में अपने निर्णय में कोई विवेचनात्मक एवं निष्कर्षात्मक टिप्पणी अंकित नहीं की गई है। उपरोक्त के आलोक में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.07.2025 को निरस्त जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर को उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में प्रकरण में गहन एवं विस्तृत जॉच की जाकर निष्कर्षात्मक एवं विवेचनात्मक पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

अतः आदेश है कि – अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.07.2025 को निरस्त जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर को उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में प्रकरण में गहन एवं विस्तृत जॉच की जाकर निष्कर्षात्मक एवं विवेचनात्मक पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 24.02.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर